न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक अपील 1580–एक/2001 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–6–01 पारित द्वारा अपर बंदोवस्त आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 69/96–97/अपील.

———

शोभनाथ पुत्र श्री मंगली साहू
निवासी ग्राम ढोंगा तहसील देवसर,
जिला सीधी म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

1– छोटे पुत्र जयराम केवल
2– रामदास पुत्र लोलर केवट
3– जयकरण
4– जगदीश
दोनों पुत्रगण छोटे तेली
निवासीगण ग्राम ढोगा तहसील देवसर
जिला सीधी म.प्र.
5– म.प्र. शासन ——— अनावेदकगण

———

श्री एस.के. अवस्थी, अधिवक्ता, आवेदक.
श्री डी.के. शुक्ला, अधिवक्ता, अनावेदक क्र. 5.

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 06 अगस्त 2014 को पारित)

———

यह अपील अपर बंदोवस्त आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 69/96–97/अपील में पारित आदेश दिनांक 29–6–01 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि बंदोवस्त के दौरान ग्राम ढोंगा तहसील देवसर के सर्वे नं. 408/5 रकबा 10 एकड़ के नक्शा सुधार हेतु अनावेदक छोटे द्वारा बंदोवस्त अधिकारी के समक्ष आवेदन दिनांक 4–8–93 को पेश किया गया जिसपर आवेदक द्वारा आपत्ति की गई । बंदोवस्त अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण कराकर एवं उभयपक्षों को सुन कर दिनांक 28–2–96 को आदेश पारित करते हुए नक्शा संशोधन के

आदेश दिए । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की गई जो अपर बंदोवस्त आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । उनके इस आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिए गए हैं कि विचारण न्यायालय में न तो प्रकरण में विधिवत जांच की गई और न अपीलांट को सुनवाई का अवसर ही दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी प्रथम अपीय न्यायालयों के कर्त्तव्यों का निर्वहन समुचित रूप से नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि प्रकरण में जो जांच प्रतिवेदन दिनांक 27–8–93 का है वह एकपक्षीय है । उनके द्वारा कहा गया कि बंदोवस्त अधिकारी क आदेश का पैरा 2 देखा जाये जिससे स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी आपत्ति का निराकरण नहीं किया गया है । सन् 1977 के किसी आदेश का आधार लिया गया है । नक्शे में परिवर्तन का कोई कारण नहीं होते हुए भी विचारण न्यायालय ने नक्शा दुरस्ती का आदेश देने में त्रुटि की गई है ।

4– रिस्पोडेंट क. 1 लगायत 4 प्रकरण में एकपक्षीय हें ।

5– रिस्पोडेंट क. 5 म.प्र. शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

6– अपीलार्थी एवं रिस्पोडेंट क. 5 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण नक्शा संशोधन के संबंध में है । प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय हैं । प्रकरण में अपर बंदोवस्त आयुक्त ने यह पाया है कि प्रकरण में कोई आधार या प्रमाण समय देने के उपरांत भी आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही स्थल निरीक्षण को चुनौती देने वाली कोई बात कही है उक्त आधार पर उन्होंने आवेदक का यह तर्क कि उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया अमान्य करते हुए अपील निरस्त की है। अभिलेख को देखने से उभय अधीनस्थ न्यायालय के आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत होने के कारण पुष्टि योग्य है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर